भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1038
(जिसका उत्तर सोमवार दिनांक 29 जुलाई, 2024/07 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

क्रिप्टो परिसंपत्तियों का विनियमन

1038 श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-20 नेताओं के घोषणापत्र में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) द्वारा सिंथेसिस नोट का स्वीकार किए जाने के बाद भारत द्वारा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियमन पर व्यापक चर्चा किए जाने की उम्मीद है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या क्रिप्टो करेंसी पर बहुपक्षीय स्तर पर आम सहमति है और नेताओं से समर्थन प्राप्त है; क्या क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर वैश्विक आम सहमति का अनुसरण किया जा रहा है जो केवल एक देश ही नहीं बल्कि जी-20 के देशों से आगे तक भी व्याप्त है; और

(c) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) - वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) सिंथेसिस पेपर उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के लिए विशिष्ट जोखिमों और जोखिमों की पूरी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो परिसंपत्तियों संबंधी एक समन्वित और व्यापक नीति और विनियामक ढांचा प्रदान करता है। तदनुसार, भारत सहित सभी क्षेत्राधिकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे देश की विशिष्ट विशेषताओं और जोखिमों का मूल्यांकन करें तथा क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में किसी भी आवश्यक उपाय पर उचित ढंग से विचार करने के लिए मानक निर्धारण निकायों और जी-20 के साथ बातचीत करें।

पिछले वर्ष भारत की अध्यक्षता के दौरान जी-20 में आम सहमति बनी थी, जिसके तहत सिंथेसिस पेपर में निहित रोडमैप को 'क्रिप्टो परिसंपत्तियों के संबंध में जी-20 रोडमैप' के रूप में अपनाया गया था। यह रोडमैप आईएमएफ को महाद्वीपों में अपनी व्यापक सदस्यता और नेटवर्क का लाभ उठाते हुए तथा एफएसबी को एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में अपने क्षेत्रीय सलाहकार समूहों (आरसीजी) के माध्यम से जी20 क्षेत्राधिकारों से आगे तक संस्थागत क्षमता निर्माण के लिए विशिष्ट कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में, आईएमएफ और एफएसबी गैर-जी20 देशों को शामिल करते हुए विभिन्न कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित कर रहे हैं।

*****